राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 334/2006

1. नेपाराम पुत्र गोटूराम **(फौत)**
1/1 बुद्धवारी देवी पत्नी नोपाराम
1/2 प्रकाश पुत्र नोपाराम
1/3 रामचन्द्र पुत्र नोपाराम
1/4 उमराव पुत्र नोपाराम
1/5 जयराम पुत्र नोपाराम
1/6 सुशील पुत्र नोपाराम
2. ताराचन्द पुत्र गोटूराम
3. नानचाराम पुत्र गोटूराम
4. लक्ष्मणराम पुत्र गोटूराम
जाति माली निवासी ढाणी चाचावाली ग्राम संजयनगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

..........वादीगण

<u>ब–ना–म</u>

1. श्योनारायण पुत्र भागीरथ सिंह **(मृतक)**
1/1 सरबती देवी पत्नी श्योनारायण सिंह
1/2 लक्ष्मण सिह पुत्र श्योनारायण सिंह
1/3 अमर सिंह पुत्र श्योनारायण सिंह **(फौत)**
1/3/1 बिमला देवी पत्नी अमर सिंह
1/3/2 बिरजू सिंह पुत्र अमर सिंह
1/3/3 हरी सिंह पुत्र अमर सिंह
1/3/4 शेर सिंह पुत्र अमर सिंह
निवासी ढाणी चाचावाली ग्राम संजयनगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
1/4 सुरजी देवी पुत्री स्व. श्योनारायण सिंह पत्नी मातु सिंह जाति राजपूत निवासी पाली तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
1/5 माली देवी पुत्री स्व. श्योनारायण सिंह पत्नी रावत सिंह जाति राजपूत निवासी पाली तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
1/6 उमेश देवी पुत्री स्व. श्योनारायण सिंह पत्नी रामकुवार सिंह जाति राजपूत निवासी चिरानी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
1/7 शान्ति देवी पुत्री स्व. श्योनारायण सिंह पत्नी रामकुमार सिंह जाति राजपूत निवासी चिरानी तहसील खेतडी जिला [illegible] राज0
1/8 केला देवी पुत्री स्व. श्योनारायण सिंह पत्नी बा[illegible] सिंह [illegible]वासी हाल बाढा की ढाणी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
1/9 माया देवी पुत्री स्व. श्योनारायण सिंह पत्नी पाल [illegible] जाति राजपूत निवासी ढाणा तन् पचेरी कलां तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

..........प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:22:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

दावा– घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री शीशराम सैनी – वादीगण की ओर से
2. श्री लीलाधर शर्मा – प्रतिवादीगण की ओर से

–: निर्णय :– दिनांक 16–08–2022

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि ग्राम पपुरना में स्थित भूमि गत ख.नं. 5127 रकबा 12 बिस्वा, गत ख.नं. 5134 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि वादीगण अपने पूर्वजों के समय से ही यानि वादीगण के पूर्वज करीब 50 वर्षों से पहले से उक्त भूमि को काश्त करते आ रहे थे। उक्त भूमि को वादीगण के पिता छोटू उर्फ गोटू ने काश्त किया। वादीगण के पिता की सन् 1986 में मृत्यु हो चुकी है उसके बाद वादीगण उक्त भूमि में कब्जे काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण के पूर्वज स्व. छोटू उर्फ गोटू ने उक्त भूमि दिनांक 22.07.65 को जरिये लिखावट 75 रूपये में स्योनारायण सिंह पुत्र भागीरथसिंह प्रतिवादी सं. 1 से गत ख.नं. 5127 रकबा 12 बिस्वा, ख.नं. 5134 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा कुल 2 बीघा 1 बिस्वा से खरीद की थी जिसकी लिखावट गांव के पंचो के सामने वादीगण की बही में लिखी गई उसी समय पर वादीगण के पिता को उक्त भूमि पर कब्जा करवा दिया उसके बाद प्रतिवादी सं. 1 ने वादीगण के पिता के हक में विक्रय पत्र तस्दीक करवाने हेतु विक्रय पत्र विलेख तहसील कार्यालय खेतड़ी के यहां लिखा गया एवं साथ में प्रार्थनापत्र लिखा गया। उक्त विक्रय विलेख 19.11.66 को तस्दीक करवाने हेतु तैयार किया गया जिसमें प्रतिवादी सं. 1 के हस्ताक्षर युक्त है। सब रजिस्ट्रार ने वादीगण के पूर्वज स्व. छोटू से 10 रूपये अतिरिक्त मांगे तो वादीगण के पिता ने नहीं दिये। आपस में कहा सुनी हो गई। इस कारण से विक्रय पत्र तस्दीक नहीं हो सका। गत ख.नं. 5127 रकबा 12 बिस्वा गत ख.नं. 5134 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा के हाल सैटलमेंट में हाल ख.नं. 2252 रकबा 0.52 है. बनकर आये हैं। वादीगण का मौके पर ख.नं. 2252 रकबा 0.52 है. पर कब्जा काश्त है। गत ख.नं. 5127, 5134 का ढाल बाछ नं. 793 में था। उक्त भूमि का लगान भी ढाल बाछ नं. 793 का वादीगण के पूर्वज स्व. छोटू पिता गोमा ने समय समय पर यथा दिनांक 8.02.73 को एक रूपये 75 पैसा, दिनांक 25.12.69 को 3 रूपया 4 पैसा, दिनांक 3.01.71 को व दिनांक 09.01.74 को भी लगान जमा करवाया है जिसकी पर्ची असल वादीगण के पास है। गत ख.नं. 5127, 5134 की खसरा गिरदावरी के कॉलम 40 में भी संवत् 2016 से 2019 में वादीगण के पिता का कब्जा होना दर्ज है। इस प्रकार वादीगण के पिता की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:22:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

खरीद शुदा होगी उस पर कब्जा काश्त 50 वर्षों से होने से वादीगण को खातेदारी अधिकार की घोषणा करवाई जाना आवश्यक हो जाता है। हाल ख.नं. 2252 रकबा 0.52 है. भूमि हाल खाता सं. 449 में दर्ज है। अन्य खसरा नंबर प्रतिवादी सं. 1 ने अन्य खातेदारों को बेचान कर दिया है। मात्र उक्त खाता सं. 449 में हाल ख.नं. 2252 रकबा 0.52 है. प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज है। बल्कि उक्त भूमि पर रहन आदि से भी मुक्त है। इसलिये प्रतिवादी सं. 1 को ही पक्षकार बनाया गया है। अन्य खातेदारों के हक प्रभावित नहीं होते हैं। इसलिये वादीगण को यह वाद घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण को ग्राम संजयनगर में स्थित भूमि हाल खाता सं. 449 के ख.नं. 2252 रकबा 0.52 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं रिकार्ड राजस्व में इस आशय की दुरूस्ती किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण ने जवाब दावा प्रस्तुत कर वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष को अस्वीकार कर कथन किया है कि ग्राम पपुरना में प्रतिवादीगण के पूर्वज श्योनारायण की खातेदारी की भूमि गत खसरा नंबर 5127 रकबा 12 बिस्वा, ख.नं. 5134 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा होना स्वीकार है। उक्त भूमि पर वादीगण व उसके पूर्वजों का कभी कब्जा नहीं रहा। वादीगण के पिता का देहान्त होने के पश्चात् वादीगण के अतिरिक्त उनकी माता व बहिनें भी उत्तराधिकारीणी है व दावे में आवश्यक पक्षकार हैं जिन्हें वादीगण ने जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया है। इसलिये वादीगण का दावा आवश्यक पक्षकारों के अभाव में खारिज होने योग्य है। वादीगण के पिता गोटू उर्फ छोटू ने दिनांक 22.07.1965 को जरिये लिखावट क्रय नहीं किया व ना ही उक्त प्रतिवादीगण के पूर्वज श्योनारायण ने कोई लिखावट इस प्रकार की लिखी। वादीगण ने यह भी दर्ज नहीं किया कि गांव के किन मौजीज पंचो के सामने उक्त लिखावट लिखी उक्त विवादित भूमि पर वादीगण के पिता का व वादीगण का कभी कब्जा नहीं रहा है। प्रतिवादीगण के पूर्वज श्योनारायण ने दिनांक 19.11.1966 को कोई विक्रय पत्र निष्पादित नहीं किया। वादीगण का यह कथन भी नितान्त असत्य है कि उक्त विक्रय पत्र प्रतिवादीगण के पूर्वज श्योनारायण का हस्ताक्षर युक्त है। क्योंकि प्रतिवादीगण के पूर्वज श्योनारायण हस्ताक्षर क[illegible]हीं था वह एक अशिक्षित व्यक्ति था व जब भी आवश्यकता होती है वह आता ही [illegible] था बकौल वादीगण यदि 10रू. बकाया थे तो भी विक्रय पत्र अंतिम रूप से निष्पादित हुआ नहीं माना जा सकता व यदि विक्रय पत्र स्टाम्प पर निष्पादित था तो वादीगण के पिता को उक्त विक्रय पत्र को

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:22:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

पंजीकृत करवाने का दावा रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत करवाने का दावा करना चाहिये था। इस प्रकार उक्त तथाकथित विक्रय पत्र से भी वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। विवादित भूमि हाल ख.नं. 2252 के पास प्रतिवादीगण के पूर्वज की काश्त की भूमियां भी है। प्रतिवादीगण को पूर्ण अधिकार है कि वो उक्त भूमि किसी भी संस्था अथवा व्यक्ति के हक में रहन व विक्रय कर सकता है। उक्त भूमि प्रतिवादीगण व अन्य खातेदारों की संयुक्त खाते की भूमि है। इसलिये समस्त खातेदारों को पक्षकार बनाना आवश्यक था जिसके अभाव में दावा खारिज होने योग्य है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का दावा मय खर्चा खारिज फरमाने की कृपा करें।

वादीगण की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी आधार वर्ष 2005 खाता सं. 449 ग्राम संजयनगर (प्रदर्श–1), फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 19.12.66 (प्रदर्श–2ए), फोटो प्रति लिखावट दिनांक 22.07.65 (प्रदर्श–13ए), फोटो प्रतियां रसीद (प्रदर्श–3ए से 9ए), नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2012–2015 (प्रदर्श–10), संवत् 2016–2019 (प्रदर्श–11), नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–12) ग्राम पपुरना पेश किये तथा मौखिक साक्ष्य में बयान लक्ष्मणराम पुत्र गोटूराम (पी.डब्ल्यू.–1), नेतराम सैनी पुत्र जगूराम (पी.डब्ल्यू.–2), धूड़ाराम पुत्र मालाराम (पी.डब्ल्यू. –3) भी कलमबद्ध करवाये गये।

प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व. श्योनारायण सिंह (डी.डब्ल्यू.–1) का पेश किया।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। वादीगण ने विक्रय पत्र (प्रदर्श–2ए) के अनुसार ही वादग्रस्त भूमि में खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है। उक्त दस्तावेज विक्रय पत्र (प्रदर्श–2ए) अपंजीकृत दस्तावेज है, अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। तथा उक्त अपंजीकृत दस्तावेज (प्रदर्श–2ए) के आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन स्वरूप वाद वादीगण पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य पाया जाता हे।

आदेश

अतः वाद वादीगण पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16–08–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:22:28 IST
Reason: SelfAttested

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतडी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी